संख्या-35/2019/452/26-3-2019-45(विविध)/2017

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 01 फरवरी 2019

विषयः- निक्सी के माध्यम से कार्यरत् 03 आफिस असिस्टेंटों का 03 माह (01.01.2019 से 31.03.2019) की देयता के सम्बन्ध में अग्रिम भुगतान की अनुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3527/स0क0/शिक्षा-अ/106/2018-19 दिनांक-18.01.2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निक्सी के माध्यम से निदेशालय, समाज कल्याण में कार्यरत् 03 आफिस असिस्टेंटों को दिनांक-01.01.2019 से 31.01.2019 तक का पारिश्रमिक भुगतान रू0-3,48,459/- (रू0 तीन लाख अडतालिस हजार चार सौ उनसठ मात्र) निक्सी को अग्रिम रूप से भुगतान किये जाने की अनुमति, चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-''2225-01-789-13-विभिन्न मदों की छात्रवृत्ति योजनाओं का अनुश्रवण एवं कम्प्यूटरीकरण-42-अन्य व्यय मानक मद में प्राविधानित धनराशि, जिसकी वित्तीय स्वीकृति निर्गत कर निदेशक, समाज कल्याण के निवर्तन पर रखी जा चुकी है, से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती हैः-

(1)- वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है तो उसके लिये भी सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।

(2)- विभाग द्वारा पूर्व में दी गयी समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन 31 मार्च 2019 मार्च तक अवश्य कर लिया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुये महालेखाकार के पुस्तांकित आंकड़ों में भी समायोजन सुनिश्चित कराते हुये पत्रावली वित्त विभाग को अवगत करायेंगे।

(3)- किसी भी अन्य अग्रिम भुगतान के लिये वित्त विभाग की सहमति प्राप्त की जानी होगी।

भवदीय,
रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ0 संख्या-35/2019/452(1)/26-3-2019 तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।